

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद - बस्ती

दिनांक:- 05.01.2021

रेलवे रिजर्वेशन ई-टिकट के साफ्टवेयर रेडमिर्ची तथा ANMS को ऑन लाइन
बेचने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के दो अभियुक्त गिरफ्तार व उपकरण बरामद ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के निकट पर्यवेक्षण में निरीक्षक कपिल मुनि सिंह अपराध शाखा बस्ती, प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल बस्ती श्री नरेन्द्र यादव व थानाध्यक्ष हरैया श्री सर्वेश राय के संयुक्त टीम की कार्यवाही में दिनांक:-04.01.2021 को हामिद अशरफ गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को मुरादीपुर चौराहा कस्बा हरैया जनपद बस्ती के पास से समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. जमीरुल हसन उर्फ लल्ला पुत्र स्व0 फकरुलहसन निवासी रमवापुर कला थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 50 वर्ष।
2. योगेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री केशव प्रसाद विश्वकर्मा निवासी मो0 गल्ला मंडी ज्ञानपुर रोड, सुरियावां थाना सुरियावां जनपद भदौही उम्र 29 साल ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद कार अल्टो बिना नम्बर की
2. एक अदद लैपटाप
3. 6 अदद मोबाइल
4. 03 अदद फ़र्जी आधार कार्ड
5. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स,पैन कार्ड, आधार कार्ड, व डेविट कार्ड एक्सीस बैंक एवं अन्य दस्तावेज।
6. ICICI बैंक में जमिरुलहसन स्वयं व इनकी पत्नी एवं बच्चीयों के नाम बाण्ड कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये।
7. बिभिन्न बैंको के कुल 18 खातों में कुल 30 लाख रुपये जिन्हे जब्त कराया जा रहा, इनके पास बुक, व चेक बुक 15 अदद बरामद जिन्हे फ्रीज कराये जा रहे है।
8. रजिस्ट्री व जमीन के कागजात कुल 73 पन्ना।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

विदित है कि दिनांक 08/12/2019 को ई-टिकट के रेडमिर्ची/ ANMS सॉफ्टवेयर बेचने वाले गिरोह की गिरफ्तारी थाना हरैया जनपद बस्ती में मु0अ0सं0 269/19 अंतर्गत धारा 419,420,467,468,471 ipc तथा 43,65, 66,66c,66D ,70 it act पंजीकृत है। अभियोग की विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्त गैंग के सरगना हामिद अशरफ निवासी रमवापुर कला थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के द्वारा ई-टिकट साफ्टवेयर को ऑनलाइन सम्पूर्ण भारत में बेच कर पैसों को विभिन्न फ़र्जी पोर्टल व बैंक खातों के माध्यम से अपने कई साथियों के साथ मिलकर अर्जित धनराशि को अपने पिता, मामा एवं अन्य रिश्तेदारों के नाम से सम्पत्तियां क्रय की है। इस सम्पूर्ण कार्य में फ़र्जी पोर्टल अकाउन्ट खोलने के लिये कूट रचित दस्तावेज एवं मोबाइल सिम आदि को इनके साथियों तथा पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से उपलब्ध कराये जाते हैं। प्राप्त धनराशि का उपयोग हामिद अशरफ एवं इनके पिता जमिरुल हसन उर्फ लल्ला एवं मामा वसीम अन्सारी के द्वारा किया जाता है। इस गैंग का गिरफ्तार अभियुक्त योगेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा उपरोक्त एक प्रमुख सदस्य है। इन लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक कम्पनी **KYR Broadband PR LTD** भी खोली है, इस कम्पनी के माध्यम से अपनी अवैध सम्पत्ति को वैध किये जाने का कार्य किया जाना था। यह हामिद अशरफ के रेडमिर्ची/ANMS सॉफ्टवेयर को सम्पूर्ण भारत में ऑनलाइन सुपरसेलर , पैनल एजेंट के जरिये टिकट एजेंटों बेच कर पैसों को विभिन्न डिजिटल तरीके से **smartshop** के माध्यम से पोर्टल खातों में ट्रांसफर कर अपने स्वयं के खाते व गोल्ड मिडिया नामक कम्पनी जो अभियुक्त योगेन्द्र विश्वकर्मा के नाम से है के माध्यम से अभियुक्त हामिद अशरफ के बैंक खाते में भेजी जाती थी, तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवैध नगद धनराशि हामिद अशरफ के पिता जमिरुल हसन उर्फ लल्ला एवं मामा वसीम अन्सारी को बस्ती लाकर इनके घर पर दिया जाता था। योगेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा विगत 02 वर्षों में काफी धनराशि, नगद प्रत्येक माह 30 से 50 लाख रुपये दिया जाना बताया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त जमिरुलहसन उर्फ लल्ला द्वारा प्राप्त उपरोक्त धनराशि का उपयोग स्वयं के नाम तथा अपने परिवार जनों एवं रिश्तेदारों के नाम जनपद बस्ती एवं मुम्बई में जमीन व मकान क्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। पूछ-ताछ में अभियुक्त द्वारा निम्नलिखित अचल सम्पत्तियां क्रय किया जाना बताया गया है।

1. अहमदनगर (मुम्बई) में प्लॉट 7000 वर्गफिट जिसकी कीमत करीब 02 करोड़ रुपये।
2. घनसैनी;थाणे (मुम्बई) में फ्लैट कीमत करीब 01 करोड़ रुपये।
3. कप्तानगंज जनपद बस्ती में मछली मण्डी के पास जमीन करीब 5 विस्वा जमीन कीमत करीब 25 लाख रुपये।
4. बस्ती टोल प्लाजा के पास जमीन कीमत करीब 25 लाख रुपये।
5. HMD माल जो कस्बा कप्तानगंज में बना है जिसकी लागत करीब 3 करोड़ है।
6. कठार जंगल में कुल 15 बीघा जमीन कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये।

7. वायरलेस चौराहा कस्बा कप्तानगंज से थाने की तरफ जाने वाली रोड पर 12 बिस्वा जमीन व व्यवसायिक दूकानें कीमत करीब 02 करोड़ रूपया।
8. रमवापुर कला में 08 बिस्वा जमीन कीमत 25 लाख रूपया।
9. कप्तानगंज कस्बे में किराना मार्ट कीमत करीब 50 लाख रूपया ।
10. बनकटा मिश्र में जमीन ढाई बीघा कीमत 01 करोड़ रूपये ।
11. ग्राम रमवापुर में एक मुर्गी फार्म हाऊस कीमत 10 लाख रूपये ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त योगेन्द्र विश्वकर्मा-

1. मु0अ0सं0 269/19 अंतर्गत धारा 419,420,467,468,471ipc तथा 43,65, 66,66c,66D, 70 it act थाना हरैया जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 261/20 धारा 143 रेलवे एक्ट RPF बस्ती ।
3. मु0अ0सं0 2533/2019 धारा 143 रेलवे एक्ट RPF गोण्डा ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक कपिल मुनि सिंह अपराध शाखा बस्ती ।
2. आरपीएफ निरीक्षक बस्ती श्री नरेन्द्र यादव मय टीम ।
3. निरीक्षक दशरथ प्रसाद सी0आई0बी0 गोरखपुर मय टीम ।
- 4.थानाध्यक्ष हरैया श्री सर्वेश राय मय टीम ।
5. थानाध्यक्ष कप्तानगंज श्री राजकुमार पाण्डेय मय टीम ।
6. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद बस्ती ।
7. ASI रविन्द्र सिंह RPF पोस्ट बस्ती।